न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

अनवान प्रकरणः–हरचन्द आदि बनाम रिछपाल आदि

प्रकरण संख्या :–84/2024

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151सीपीसी

हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा रिमाण्ड कर प्रेषित किया गया है। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का निर्णय दिनांक 28.10.24 को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर उभ्य पक्ष को सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए में उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी के तहत अधिवक्ता अप्रार्थी श्री संजय चाण्डक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से हैः–

यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –251 आरटीए एक्ट न्यायालय में जैरकार है। जिसमें आज की पेशी है। यह कि प्रार्थीगण (हरचन्द वगै0) के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–251 आरटीए का प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से अनुतोष चाहा है कि, "चक 14 LGW (बी) के प0न0 4/292 (28) के कि0न0 21 ता 25 के दक्षिण दिशा में प्रत्येक में 0.025 है0 रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रशनगत रास्ता सुविधाजनक एंव नजदिक है यह कि प्रार्थीगण का चाहा गया उपरोक्त अनुतोष कानूनी रूप से सुखाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई योग्य है ना कि राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जिन आधारो को लेकर रास्ता स्वीकृती का अनुतोष चाहा है उसकी बाबत केवल सिविल न्यायालय ही सुखाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई करने व उचीत आदेश प्रदान करने हेतू सक्ष्म है। कानूनः प्रार्थीगण का धारा–251 श्कश त्ज। प्रार्थना–पत्र कानून में निहीत प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत हुआ होने के कारण इसी स्टेज पर खारीज योग्य है।

यह कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष कोई भी काश्तकार अपनी कृषि भूमि के लिए नवीन रास्ता की स्वीकृती हेतू आत्यांतिक आवश्यकता होने एंव अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने कि स्थिती में धारा–251 श्कश राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष की मांग कर सकता है। जब कि उपरोक्त प्रकरण में ऐसी कोई भी स्थिती वर्तमान में नहीं है। दोनो पक्षों के काश्तकार काफी अरसा से नहर की पटरी से होते हुए बनी पुलिया का उपयोग करते हुए आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे है। इस मार्ग से आवागमन करने में दोनों चकों के काश्तकारों को कतई परेशानी नहीं हुई है।

यह कि वास्तविक्ता तो यह कि प्रार्थीगण एक राय होकर केवल मात्र अप्रार्थी नं० 01 पर दबाव बनाकर बिना किसी आवश्यकता के अप्रार्थी नं० 1 को परेशान करने की मन्शा से यह आधारहीन प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो से उपरोक्त कथनो की भली भांति पुष्टी भी हो जाती है। इसलिए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणप्रार्थीगण का धारा 251 आरएसी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी ।

श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 स्वीकार य प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 2 से 6 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए चक 14 एल.जी. डब्लयू.बी. के मु.न. 28 से 29 तक किला नं. 21 ता 25 से अपनी भूमि में आना जाना करते है। वर्तमान में मु.न. 29 से 28 तक किला नं. 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है परन्तु मु.न. 28 के किला नं. 21 से 25 जो कि अप्रार्थी नं. 1 की भूमि है इसमें रास्ता स्वीकृत नहीं है। इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 कतई गलत एंवम विधिविरूद्ध है जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी सुखाधिकार का अंकन नहीं किया है और ना ही सुखाधिकार अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत रास्ता काफी समय स्वीकृत एंवम चालु भी रहा है। अप्रार्थी द्वारा भूप्रबन्धक व राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत कर इस रास्ता को राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश के निरस्त करवाकर इसे बन्द कर दिया है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई नजदीक व सुविधाजनक रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। रास्ता स्वीकृत करने बाबत् इसी धारा के तहत श्रीमान न्यायालय द्वारा कार्यवाई की जाती है इसलिए प्रार्थना पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई गलत व मिथ्यारचित है स्वीकार नहीं । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 12 व 13 में स्पष्ट व विस्तरीत तथ्यों का अंकन किया है कि नहर की पटरी पर कोई रास्ता स्वीकृत व चालु नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा नहर की सफाई के दौरान नहर की मिट्टी निकालकर इस पटरी पर डाल दी है जो अब काफी उंची हो गई है जिससे पटरी पर चढ़ना व उतरना असम्भव है और ना ही इस पटरी का रास्ता हेतु उपयोग किया जा रहा है। रास्ता के अभाव में सभी काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए धारा 251–क राज.का.अधि. के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई मनगढ़त है, स्वीकार नहीं। प्रश्नगत रास्ता को छोड़कर इसके आगे 7 मुरब्बो में किल नं. 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है। अप्रार्थी द्वारा यह रास्ता बन्द किये जाने के कारण सभी काश्तकारो को काफी असुविधा हो रही है। यह रास्ता स्वीकृत होने पर आगे स्वीकृत 7 मुरब्बो का रास्ता पक्की सड़क से मिलान हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार अपने गांव से पक्की सड़क होकर प्रश्नगत रास्ता से आगे अपनी भूमि में प्रवेश कर सकेंगे। अप्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र निणर्य को देरी करने की मंशा से पेश किया है जो मय खर्चा खारीज योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. मय खर्चा खारीज फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राज. काश्त. अधि. के जवाब अन्तिम हेतु अवसर दिया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र 251 –ए आरटीए में मद संख्या 13 में जो रास्ता चाहा गया है वह सुविधाजनक व नजदीकी है जबकि 251–ए आत्यांन्तिक एवं आवश्यक होने एवं वैल्पिक रास्ता ना होने की दशा में सुना जाता है। सुविधा जनक रास्ता का प्रावधान माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है तथा सुखाचार में माननीय राजस्व न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं है इस लिए प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि सुखाधिकार /सुखाचार के आधार पर कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मद संख्या 12 जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी निराधार है खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए का गहन अध्ययन किया गया प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता चक 14 एलजीडब्ल्यू बी के मु.न. 28 से 34 व चक 14 एलजीडब्ल्यू ए के मु.न. 30 को जोड़ता हुआ रास्ता मु.न. 28 के किला न. 21 से 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण की सांझा खाता की भूमि को पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता लगता है साथ ही तहसीलदार पीलीबंगा के रिपोर्ट पत्रांक 606 दिनांक 01.09.24 में उक्त प्रश्नगत चाहा गया रास्ता की भूमि में किला न. 23 में अनुदानित डिग्गी एवं किला न. 25 में मोटर होना बताया है जिसके संबंध में संबधित काश्तकार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए है जिसमें मु.न. 28 के किला न. 21 से 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा है उक्त किला न. 23 व 25 में डिग्गी एवं मोटर होने के कथन किये है जबकि प्रार्थीगण की सांझा खाता की भूमि को पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता लगता है प्रार्थना पत्र सुविधाजनक रास्ता का प्रस्तुत किया गया है जो कि सुखाधिकार के अन्तर्गत श्रवणयोग्य है अतः प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी साबित होने से स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 19/05/2026 सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय शामिल पत्रावली हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा